न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 24/2023

उनवान

1. तेजाराम पुत्र श्री प्रभाती लाल जाति जाट निवासी अमरसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज0, हाल निवासी गुलाबबाडी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 ।

प्रार्थी

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

2. नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर जिला जयपुर राज0।

3. धोलूराम पुत्र महादेव

4. भैरू पुत्र महादेव

5. राजेन्द्र पुत्र महादेव

6. कल्याण पुत्र भगवाना

7. दिनेश पुत्र भगवाना (फौत)

7/1. ममता देवी पत्नी स्व0 दिनेश

7/2. ब्रजेश पुत्र स्व0 दिनेश

7/3. निशा पुत्री स्व0 दिनेश

8.बनवारी पुत्र भगवाना

9. मूंगा पुत्र भगवाना

10. महावीर पुत्र भगवाना

11. सुरज्ञानी पुत्र भगवाना

12. हरफुल पुत्र भगवाना

13. कानाराम पुत्र भोलाराम

14. जयराम पुत्र भोलाराम

15. बलदेव कुमार पुत्र भोलाराम

16. कालूराम पुत्र नाथू

17. गेन्दालाल पुत्र नाथू

18. शिम्भूदयाल पुत्र नाथू

समस्त जाति माली निवासी अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

19. कैलाश चन्द पुत्र नाथू

20. हरि पुत्र नाथू

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 04/04/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि आराजी ख.नं. 159/2/0.5000 है0 व ख0 नं0 159/3/0.1300 है0 वाकै ग्राम पटेलनगर पटवार हल्का अमरसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करता चला आ रहा है। आराजी ख.नं. 159/2/0.5000 है0 का उपतहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2021/810 दिनांक 03.11.2021 की पालना में दिनांक 23.05.2022 को एवं आराजी ख.नं. 159/3/0.1300 है0 का उपतहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2021/811 दिनांक 03.11.2021 की पालना में दिनांक 23.05.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया । अप्रार्थी सं0 06, 08 लगा0 18 की ओर से एडवोकेट जेएस यादव ने अण्डर टेंकिग दी। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया। दिनांक 29.03.2023 को अप्रार्थी सं0 03 लगायत 05 तथा अप्रार्थी सं0 19, 20 बावजूद तामिल एवं सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं अप्रार्थी सं0 07 फौत होना जाहिर किया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी सं0 07 का कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 27.07.2023 को कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में संशोधित टाईटल पेश हुआ। अप्रार्थी सं0 7/1, 7/2, 7/3 के कायम मुकाम की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/915 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा इस न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो को जाहिर किया कि ग्राम पटेलनगर के आ0 ख0 नं0 159/2 एवं 159/3 का भूमि का सीमांकन 23.05.2022 को किया गया। उक्त ख0 नंबर के ख0 नं0 857/159/0.49 है0 व 159/3/0.13 है0 खातेदार के नाम से दर्ज है तथा ख0 न0 856/159/0.01 है0 सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 23.05.2022 को

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में रींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी खसरा नंबर 159/2/0.5000 है0 तथा आराजी खसरा नंबर 159/3/0.1300 है0 वाकै ग्राम पटेलनगर तह0 शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक ...05/05/25... को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण